

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, मथुरा ।

पत्रांक २४३९/१५-१

मथुरा, दिनांक २७/०१/२०२२.

सेवा में,

अधिशाली अभियन्ता,

(संशोधित मांग पत्र)

मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण,

मथुरा ।

विषय :-

जनपद मथुरा में कोसीकलाँ के पास स्थित कोकिला वन शनिघाम परिक्रमा मार्ग (मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण) मथुरा के द्वारा परिक्रमा मार्ग के निर्माण कार्य हेतु २.०११२ हेक्टेयर आरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में

सन्दर्भ :-

- 1-भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र०, लखनऊ की पत्र संख्या- ८बी/यू०पी०/०६/२४१/२०२१/एफ०सी०/५९२, दिनांक २९.१२.२०२१
- 2-मुख्य वन संरक्षक, नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ की पृष्ठांकन संख्या-११सी-१९३३/एफ०पी०/यू०पी०/रोड़/१४५१४९/२०२१, दिनांक ३०.१२.२०२१
- 3-इस कार्यालय की पत्र संख्या-२५०१/१४-१, दिनांक ०३.०१.२०२२
- 4-भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, नई दिल्ली के पत्र दिनांक ०६.०१.२०२२

महोदय,

उपरोक्त विषयक एवं संदर्भित पत्रों अवलोकन करने का कष्ट करें । संदर्भित पत्र के क्रम संख्या-४ में अंकित भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, नई दिल्ली के पत्र दिनांक ०६.०१.२०२२ के द्वारा एन०पी०वी० की धनराशि संशोधित करने के फलस्वरूप बिन्दु संख्या-६ में धनराशि का संशोधन पूर्व के मांग पत्र में किया जा रहा है । कृपया संशोधित मांग पत्र के अनुसार तत्काल धनराशि जमा कराकर अनुपालन आख्या छ. छ. प्रतियों में इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें ताकि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या उच्चाधिकारियों को प्रेषित की जा सके ।

1. बिन्दु संख्या-१ के अनुपालन में Legal status of the forest land shall remain unchanged. की वचनबद्धता उपलब्ध कराई जाय ।
2. बिन्दु संख्या-२ के अनुपालन में Forest land will be handed over only after required non-forest land for the project is handed over by the user agency. की वचनबद्धता उपलब्ध कराई जाय ।
3. बिन्दु संख्या-३ के अनुपालन में Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over equivalent 2.0112 non forest land in Madaur Gram Samaj Gata No. 2866G, village- Madaur, Tehsil-Mahavan, District-Mathura at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided.
4. बिन्दु संख्या-४ के अनुपालन में The non-forest land proposed for CA shall be transferred and mutated in the name of Forest Department and notified as RF/PF prior to Stage-II approval. A copy of the original notification declaring the non-forest land under Section 4 or Section 29 of the Indian Forest Act, 1927, or under the relevant section of the State Forest Act as the case may be, will be submitted by the State Government prior to Stage-II approval. की वचनबद्धता उपलब्ध कराई जाय ।
5. बिन्दु संख्या-५ के अनुपालन में The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA plantation will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years. के क्रम में मु०-१३,३२,५००/- (रु० तेरह लाख बत्तीस हजार पाँच सौ मात्र) की धनराशि जमा कराकर उसकी ई-रसीद की प्रति प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराई जाय ।

6. बिन्दु संख्या-6 के अनुपालन में The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 2.0112 ha. forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 In IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines Issued by the Ministry vide letters No. 5 1/1998-FC (Pr.II) [dated 18/09/2003 as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5 3/2007-FC dated 05/02/2009 in this regard. के कम में मु0-19,26,288/- (रु0 उन्नीस लाख छब्बीस हजार दो अठ्ठासी मात्र) की धनराशि जमा कराकर उसकी ई-रसीद की प्रति प्रमाणित प्रति-उपलब्ध कराई जाय ।
7. बिन्दु संख्या-7 के अनुपालन में Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect. के कम में यह वचनबद्धता उपलब्ध कराई जाय, की भविष्य में एन0पी0वी0 की दरों में संशोधन होने पर संशोधित दरों के अन्तर्गत धनराशि जमा कराई जायेगी ।
8. बिन्दु संख्या-8 के अनुपालन में The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector. की वचनबद्धता उपलब्ध कराई जाय ।
9. बिन्दु संख्या-9 के अनुपालन में Speed regulating signage will be erected along the road at regular intervals in the Protected Areas/ Forest Areas. की वचनबद्धता उपलब्ध कराई जाय ।
10. बिन्दु संख्या-10 के अनुपालन में The user agency shall provide suitable under / over pass in Protected Area / Forest Area as per recommendations of CWLW/NBWL/FAC/REC. की वचनबद्धता उपलब्ध कराई जाय ।
11. बिन्दु संख्या-11 के अनुपालन में User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable. की वचनबद्धता उपलब्ध कराई जाय ।
12. बिन्दु संख्या-12 के अनुपालन में The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government. की वचनबद्धता उपलब्ध कराई जाय ।
13. बिन्दु संख्या-13 के अनुपालन में No labour camp shall be established on the forest land. की वचनबद्धता उपलब्ध कराई जाय ।
14. बिन्दु संख्या-14 के अनुपालन में बिन्दु संख्या-9 के अनुपालन में Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel. की वचनबद्धता उपलब्ध कराई जाय ।
15. बिन्दु संख्या-15 के अनुपालन में The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer. की वचनबद्धता उपलब्ध कराई जाय ।
16. बिन्दु संख्या-16 के अनुपालन में No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work. की वचनबद्धता उपलब्ध कराई जाय ।
17. बिन्दु संख्या-17 के अनुपालन में The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less. की वचनबद्धता उपलब्ध कराई जाय ।
18. बिन्दु संख्या-18 के अनुपालन में The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal. की वचनबद्धता उपलब्ध कराई जाय ।
19. बिन्दु संख्या-19 के अनुपालन में The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India. की वचनबद्धता उपलब्ध कराई जाय ।
20. बिन्दु संख्या-20 के अनुपालन में The KMI. file of the area to be diverted, the CA areas, the proposed SMC work, the proposed Catchment Area Treatment area and the WLMP area shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details, before commencing of works. की वचनबद्धता उपलब्ध कराई जाय ।
21. बिन्दु संख्या-21 के अनुपालन में Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoFF&CC Guideline F. No. 11-42/2017-FC de 29/01/2018. की वचनबद्धता उपलब्ध कराई जाय ।
22. बिन्दु संख्या-22 के अनुपालन में Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife. की वचनबद्धता उपलब्ध कराई जाय ।

- 23 बिन्दु संख्या-23 के अनुपालन में All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through (<https://parivash.nic.in>). की वचनबद्धता उपलब्ध कराई जाय ।
- 24 बिन्दु संख्या-24 के अनुपालन में The compliance report shall be uploaded on e-portal (<https://parivash.nic.in>). की वचनबद्धता उपलब्ध कराई जाय ।

इनके अतिरिक्त भारत सरकार के संदर्भित पत्र में यह भी उल्लिखित है कि :-

After receipt of compliance report on fulfillment of all of the above conditions from the State Government proposal will be considered for final approval under Section-2 of the Forest (Conservation) Act, 1980, by this office.

The order for transfer of forest land to user agency shall not be issued by the State Government till approval order for diversion of forest land is issued by Government of India.

भवदीय,

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मथुरा

पत्रांक 2839/ दिनांकित ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ उनके पत्रांक-2049/11-सी-आईडलाईन, दिनांक 07.01.2022 के क्रम में सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 2- वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा को उनके पत्रांक-2972/14-1, दिनांक 11.01.2022 के क्रम में सादर सूचनार्थ प्रेषित ।


प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मथुरा ।


7C

शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) गणना सम्बन्धी प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की फाईल संख्या-5-3/2011-एफ0सी0(Vol-I) दिनांक 06.01.2022 के द्वारा शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) की दरों में संशोधन होने के फलस्वरूप मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा द्वारा प्रस्तावित कोकिला वन शनिधाम के नवीन परिक्रमा मार्ग के निर्माण कार्य हेतु 2.0112 हैक्टेयर आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग में हस्तान्तरित की जाने वाली आरक्षित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) जो विभाग द्वारा निर्धारित किया जायेगा उसका भुगतान मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा द्वारा वन विभाग को कर दिया जायेगा ।

(क)	प्रभावित वन भूमि	2.0112 हैक्टेयर
(ख)	शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) की धनराशि 2.0112x957780.00	1926287.13 या 1926288.00 (रु० उन्नीस लाख छब्बीस हजार दो सौ अठ्ठासी मात्र)


(आर०पी०सिंह)
अधीक्षण अभियन्ता,
मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा
आर० पी० सिंह
अधीक्षण अभियन्ता
म० वृ० वि० प्रा०, मथुरा


(रजनीकांत मिश्र)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, मथुरा
रजनीकांत मिश्र
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मथुरा